न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 26/2015

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. पारसमल पुत्र बगदाराम		1. मिश्रीमल पुत्र सदीया जाति गरूडा निवासी भागली सिन्धलान तहसील जालोर
2. देवाराम पुत्र बगदाराम		2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जालोर
3. अर्जुनकुमार पुत्र बगदाराम		3. राजस्थान राज्य जरिये उप पंजीयक जालोर
4. तीकमाराम पुत्र बगदाराम		
5. अतीयादेवी बेवा बगदाराम		
6. पुष्पा पुत्री बगदाराम		
7. मगाराम पुत्र भेराजी जातिगण गरूडा , निवासीगण भागली सिन्धलान तहसील जालोर		

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री ललित खत्री, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री अशोक माली, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 14.8.2018

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 25/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री 14.07.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर मौजा भागली सिन्धलान के खसरा नम्बर 902 व 904 कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 2.66 हैक्टेयर की भूमि में अपने 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का जवाब प्राप्त कर वाद को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए निर्णित कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाबदावे की प्रति अपीलाण्ट को दिलाई ही नहीं तथा न कोई तनकीयात कायम की, न साक्ष्य ली गई। बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किए जैर अपील निर्णय पारित किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय को अपास्त कराते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि इन्ही पक्षकारों में मध्य जैर अपील वादस्थ भूमि सहित अन्य भूमियों को लेकर वर्ष 2001 में विभाजन हुआ था। कानूनन जैर अपील वादस्थ भूमि सहित अन्य समस्त भूमियों को मिलाकर अपीलाण्ट के हिस्से में 1/3 हिस्से की भूमि आनी चाहिए, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 1/4 हिस्से की भूमि दी गई। उक्त बंटवाडे में सभी पक्षकार उपस्थित थे। सभी की सहमति से विभाजन हुआ था। इस प्रकार विभाजन के पश्चात रेस्पोडेन्ट के पक्ष में उक्त भूमि बतौर खातेदारी दर्ज हुई है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद तथ्यों एवं रेकर्ड के विपरित होने से चलने योग्य नहीं था। इस प्रकार के वाद को किसी भी स्तर पर खारिज किया जा सकता है, जिसके लिए समस्त प्रक्रियाओं की पालना की जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील वादस्थ भूमि को अपने पूर्वज फता की होना बताते हुए फता की वंशावली अनुसार इस भूमि में स्वयं का 1/3 हिस्सा घोषित कराने का अनुतोष चाहा। इस पर प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व लोक अदालत में जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा उक्त जवाबदावे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो उक्त जवाबदावे की प्रति अपीलाण्ट को प्रदान की गई तथा न ही उक्त जवाबदावा का काउण्टर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। इसके अतिरिक्त यदि किसी प्रकर का विधिक प्रश्न उद्भूत होता था, तो उसे विवाद्यक के रूप में कायम किया जाकर विधिक दृष्टिकोण से विनिश्चित किया जाना आवश्यक एवं आज्ञापक था। इसके अतिरिक्त प्रकरण में उल्लेखित तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर विवाद्यक कायम किए जाकर, उन पर साक्ष्य संग्रहित कर, उन साक्ष्यों के परीक्षणोपरान्त विवाद्यक विनिश्चित करते हुए ही निष्कर्ष अंकित किया जा सकता था एवं यही प्रक्रिया अनुसार विधि सम्मत था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन प्रक्रियाओं की पालना किए बिना ही जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें स्पष्टतया अपीलाण्ट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इन समस्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय विधि सम्मत नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

25/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री 14.07.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के अनुसार प्रकरण में सुनवाई कर पक्षकारान् को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी अधीनस्थ न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर